न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर (राज॰)

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्री कनिष्क सैनी

राजस्व प्रार्थनापत्र सं....3 / 17 / 2018

तारीख रजू 03.04.2018

प्रार्थी –

भूमिधारी राजस्थान सरकार
जरिये तहसीलदार कठूमर

बनाम

अप्रार्थीगण –

कमोल वगैरह व रा.मा.वि. खेडाकल्णपुरा

.....

प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 131 ,136
राज. भूराजस्व अधिनियम 1956

दिनांक 03.04.2018

निर्णय

तहसीलदार कठूमर (प्रार्थी) की ओर से उक्त प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा में पेश किया गया। प्रार्थनापत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम .कल्याणपुरा .के भूमि खसरा नं. 154 / 400 रकबा 0.21 हैक्टर एवं 154 / 422 रकबा 2.00 हैक्टर .रिकार्ड के अनुसार वर्तमान में अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है।

प्रार्थी द्वारा राज. भूराजस्व अधिनियम 1956 की धारा 3 (1) में परिभाषित है तथा राजस्व विभाग की अधिसूचना दि. 17.9.56 के द्वारा धारा 131 ,132 ,136 की शक्तियों के अधीन है। राज. भूराजस्व अधिनियम 1956 के अध्याय 7 सर्वेक्षण तथा अभिलेख कार्य से संबंधित है। राज. भूराजस्व अधिनियम की धारा 131 में मानचित्र एवं फील्ड बुक का संधारण व धारा 132 में वार्षिक रजिस्टरों के संधारण का प्रावधान है। इसके अंतर्गत भू–संपत्ति या खेत की सीमाओं के सभी परिवर्तनों को नक्शे पर लेने का दायित्व है।राज. भूराजस्व (भू अभिलेख) नियम 1957 के नियम 60 के नक्शे में दुरूस्ती करने के प्रावधान हैं ,जो नक्शे में संशोधित अधिसूचना दि. 2.4.2008 से संशोधन कर नियम 60 जोडा गया है। प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे में प्रदर्शित मौका नक्शा में अंकन करने का प्रावधान किया गया है, नियम 59 नक्शे के संबंध में ,नियम 60 नक्शे में दुरूस्ती के संबंध में होना अंकित करते हुये प्रार्थनापत्र पेश किया गया।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। मौका निरीक्षण रिपोर्ट एवं प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के अनुसार उक्त आराजी में नजरी नक्शा अनुसार मौके पर चारागाह एवं स्कूल बनी हुई है, उसी अनुसार नक्शे में तरमीम चाहते हैं।

अतः आराजी खसरा नं..154, 154 / 422 ग्राम .कल्याणपुरा तहसील कठूमर नजरी नक्शे अनुसार वर्तमान नक्शे में तरमीम किए जाकर पृथक से खसरा नम्बर डालने के आदेश दिये जाते हैं। उक्तानुसार तहरीर तहसीलदार कठूमर को जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनाक 03.04..2018..को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)